सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 688 राँची, शुक्रवार, 14 श्रावण, 1938 (श०) / 5 अगस्त, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

8 जुलाई, 2016

कृपया पढ़े:-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या-5154 दिनांक 26 अगस्त, 2010, पत्रांक-12869, दिनांक 22 नवम्बर, 2012
2. आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-23/ स्था० गो०, दिनांक 15 अगस्त, 2011
3. झारखण्ड लोक सेवा आयोग का पत्रांक-2295, दिनांक 12 जुलाई, 2013 एवं पत्रांक-1436, दिनांक 8 जून, 2015

संख्या-5/आरोप-1-634/2014 का.- 5746-- श्री सोनाचाँद दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-199/03, गृह जिला-धनबाद), सेवानिवृत्त अपर समाहर्त्ता, के विरूद्ध कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पदस्थापन काल (वर्ष 1992-93 तथा 1993-94) में उप कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर 7 दिनों

के प्रतिनियुक्ति के दौरान पशुपालन विभाग के विपत्र पारित करने में साजिश कर फर्जी निकासी करने संबंधी आरोपों हेतु विभाग स्तर पर प्रपत्र- 'क' गठित किया गया है ।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किये गये है :-

आरोप सं०-1- दिनांक 26 सितम्बर, 1992 से 18 अक्टूबर, 1993 की अवधि में समय-समय पर सिमडेगा उप कोषागार के प्रभार में रहते हुए पशुपालन विभाग के विपत्रों का नियम विरूद्ध पारित करना । सी०बी०आई० कांड सं०- आर०सी० 58/96 के अनुसार सिमडेगा उप कोषागार के प्रभार में रहते हुए पशुपालन विभाग के पदाधिकारी एवं निजी आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ साजिश कर सिमडेगा उप कोषागार से बड़ी राशि की फर्जी निकासी । विपत्र पारित करने में बिहार वित्त नियमावली तथा बिहार कोषागार संहिता के नियमों की अनदेखी ।

आरोप सं०-2- सिमडेगा उप कोषागार से रू० 1.07 (एक दशमलव सात) करोड़ की निकासी अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी की मिली भगत से करने में संलिप्तता ।

आरोप सं०-3- भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी०)/420, 467, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13(2) आर०/डब्ल्यु० 13(1)(डी०) के अंतर्गत दंडनीय कार्य ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-5154, दिनांक 26 अगस्त, 2010 द्वारा श्री दास के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया तथा श्री सतेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०, आयुक्त, द०छो० प्रमंडल, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी श्री सिंह के पत्रांक-23/स्था० गो०, दिनांक 15 अगस्त, 2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोप में वर्णित धाराओं के लिए सी०बी०आई ट्रायल कोर्ट के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के तहत् श्री दास को दोषी पाते हुए सजा दी गयी है, इसलिए इनके विरूद्ध लगाये गये तीनों आरोपों को सही प्रमाणित मानते हुए इन्हें वृहद दण्ड देने की अनुशंसा किया गया ।

श्री दास के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-139(बी) के तहत् 50 प्रतिशत की राशि पेंशन से कटौती करने का निर्णय लिया गया तथा श्री दास से विभागीय पत्रांक-12869, दिनांक 22 नवम्बर, 2012 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । इसके आलोक में श्री दास के पत्र, दिनांक 24 जनवरी, 2013 एवं दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसे समीक्षोपरान्त अस्वीकार करते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43(सी) के तहत् दण्ड अधिरोपण हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग का पत्रांक-2295, दिनांक 12 जुलाई, 2013 द्वारा सहमति प्राप्त हुआ ।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में पशुपालन घोटाले से संबंधित अन्य दो मामलों की तरह श्री दास पर 5 प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपण हेतु सरकार द्वारा आदेश दिया गया ।

चूँकि पूर्व में श्री दास के पेंशन से 50 प्रतिशत की राशि की कटौती हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त थी । इसलिए निर्णय में परिवर्तन के आलोक में उनकी पेंशन से 5 प्रतिशत राशि की कटौती हेतु पुनः आयोग की सहमति की माँग की गयी । इसके आलोक में श्री दास के विरूद्ध 5 प्रतिशत पेंशन कटौती के दण्ड अधिरोपण के प्रसंग में आयोग के पत्रांक-1436, दिनांक 8 जून, 2015 द्वारा मंतव्य प्राप्त है, जिसमें निम्न बिन्दुओं की ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तद्नुसार कार्रवाई करने हेतु परामर्श दिया गया हैः-

1. प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस आधार पर 50 प्रतिशत पेंशन की कटौती की सजा को 5 प्रतिशत पेंशन की कटौती की सजा में परिवर्तित किया गया है ।

2. श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही उनकी सेवा निवृति की तिथि दिनांक 30 जून, 2010 के बाद संकल्प संख्या-5154, दिनांक 26 अगस्त, 2010 द्वारा प्रारंभ किया गया है । उनके विरूद्ध आरोप दिनांक 26 सितम्बर, 1992 से 18 अक्टूबर, 1993 की अवधि का है । संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इन्हें सी०बी०आई० न्यायालय द्वारा आर०सी० केस नं०-58ए/96 में सजा दी गई है ।

3. पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अनुसार श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि इनके विरूद्ध आरोप इनकी सेवानिवृति की तिथि से चार वर्ष की पूर्व अवधि से पहले का है ।

4. श्री दास को पत्रांक-7308, दिनांक 16 नवम्बर, 2011 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम-139(बी) के तहत् 50 प्रतिशत राशि की कटौती हेतु द्वितीय कारण पृच्छा की गयी है । जबकि इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नियम-43(बी) के अन्तर्गत संचालित की गयी है ।

5. श्री दास के विरूद्ध आरोप इनकी सेवानिवृति की तिथि के चार वर्ष पूर्व की अवधि के पहले की अवधि का है। इसलिए विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर कार्रवाई उचित नहीं है।

6. पेंशन नियमावली के नियम-43(सी) के अन्तर्गत आयोग की सहमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दण्ड नियम-43(सी) के तहत् प्रस्तावित नहीं है ।

7. यदि सजा को 50 प्रतिशत की कटौती से 5 प्रतिशत पेंशन की कटौती में परिवर्तित करने का पर्याप्त कारण एवं आधार है, तो पेंशन नियमावली के नियम-139 के तहत् प्रस्तावित दण्ड अधिरोपण हेतु आयोग की सहमति की आवश्यकता नहीं है ।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि पेंशन नियमावली के नियम-139(बी) के तहत किसी सेवक के सेवा असंतोषप्रद रहने की स्थिति में पेंशन से यथोचित कटौती करने की शक्ति सक्षम प्राधिकार को दी गयी है । साथ ही, इसके उप नियम में यह शर्त अंकित की गयी है कि उक्त शक्ति का प्रयोग प्रथम पेंशन की स्वीकृति से तीन साल के बाद नहीं किया जायेगा । चूँकि श्री दास के पेंशन-सह-उपादान की स्वीकृति विभागीय आदेश सं०-5405, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा दी गयी है । इस प्रकार पेंशन नियमावली के नियम-139(बी) के तहत् श्री दास

की सेवा को असंतोषप्रद मानते हुए इनके पेंशन से 5 प्रतिशत राशि की कटौती करने के पूर्व के निर्णय को यथावत् रखने में कालबाधा नहीं है ।

अतः समीक्षोपरान्त, पेंशन नियमावली के नियम-139(बी) के तहत् श्री सोनाचाँद दास, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, के पेंशन से 5 (पाँच) प्रतिशत राशि की कटौती करने का दण्ड दिया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 688 –50 ।